न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी— सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
37/2025	06.11.2025	14/5/26

मुन्ना पुत्र भीमा, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर ——प्रार्थी

बनाम

1. शिवसिंह पुत्र भरतलाल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
2. त्रिलोक पुत्र भरतलाल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
3. किल्याणा पुत्र खिल्ली, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
4. गंगासहाय पुत्र खिल्ली, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
5. कमला पुत्री भम्बू, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
6. घनश्याम पुत्र भम्बू, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
7. छुट्टन पुत्र भम्बू, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
8. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल, मीना निवासी मीना बडौदा तह0 वजीरपुर
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से
श्री हसीब खान, एड. अप्रार्थी 1 व 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम मीनाबडौदा मे प्रार्थी की कब्जे काश्त एवं काश्तकारी की भूमि ख0न0 1033 रकबा 0.15 है0, ख0न0 1374 रकबा 0.54 है0, ख0न0 1375 रकबा 0.55 है0 स्थित है। इस भूमि से किसी अन्य का कोई वास्ता नही है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 1375 के पूर्व दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की कृषि भूमि ख0न0 2115/1374 है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता भरतलाल की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी की भूमि के पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की कृषि भूमि ख0न0 1406 रकबा 1.19 है0 स्थित है, उत्तर दिशा अप्रार्थी संख्या 5 ता 7 की कृषि भूमि ख0न0 1376 एवं दक्षिण दिशा मे स्वंय प्रार्थी की भूमि ख0न0 1374 स्थित है। प्रार्थी की भूमि ख0न0 1374 के पूर्व दिशा मे अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि ख0न0 2115/1374 स्थित है, पश्चिम दिशा मे अप्रार्थी संख्या 3, 4 की भूमि ख0न0 1406 है एवं सटवां ही सिवायचक भूमि ख0न0 2116/1408 है। उत्तर दिशा मे स्वयं की भूमि ख0न0 1375 है तथा दक्षिण दिशा मे ख0न0 2119/1896 रकबा 1.00 है0 जो अप्रार्थी संख्या 8 की खातेदारी की है। दिनांक 21.5.2024 को प्रार्थी

ने अपनी भूमि का सीमाज्ञान करवा लिया। उस समय अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नही रही परन्तु दिनांक 14.10.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने अपनी तरफ के सीमाचिन्हो को तोडकर प्रार्थी की भूमि का तोड लिया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि ख0न0 1375 रकबा 0.55 है0 की पूर्व एवं पश्चिम दिशा की तरफ से तथा भूमि ख0न0 1374 रकबा 0.54 है0 के पूर्व एवं उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ से तहसीलदार की मौजूदगी मे नाप करवायी जाकर पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया एवं तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 3 ता 8 बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाया है जो अस्पष्ट है। प्रार्थी इस सीमाज्ञान की आड मे अप्रार्थीगण की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करना चाहता है। इसलिए जब तक प्रार्थी सही और स्पष्ट सीमाज्ञान राजस्व अधिकारियों की टीम से नही करवा लेता है तब तक पत्थरगढी के आदेश दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 294, 67, 219, 48, 232, 155 ग्राम मीना बडौदा, नकल नक्शा ट्रेस, सत्यप्रतिलिपि मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 21.5.2024 प्रस्तुत किये है।

प्रकरण मे तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट उनके पत्रांक भूअ/2026/55 दिनांक 21.1.2026 द्वारा प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के साथ पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी मूल ही प्राप्त हुई है।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस मे कहा कि ख0न0 1376, 1406, 2115/1374 विवादास्पद है जो पटवारी ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया है एवं तहसीलदार वजीरपुर ने भी अपनी रिपोर्ट मे भूमि की सीमाओं पर विवाद होना अंकित किया है इसलिए प्रार्थी की

खातेदारी भूमि का जब तक अप्रार्थीगण की मौजूदगी मे सीमाज्ञान नही हो तब तक पत्थरगढी के आदेश दिये जाना उचित नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं तहसीलदार वजीरपुर की रिपोर्ट दिनांक 21.01.2026 एवं इसके साथ संलग्न पटवारी हल्का मीना बडौदा की मूल रिपोर्ट का अवलोकन किया। पटवारी हल्का मीना बडौदा ने ख0न0 2115/1374, ख0न0 1376, 1406 की सीमाए विवादास्पद होना अंकित किया है। इसी अनुसार तहसीलदार वजीरपुर ने भी अपनी रिपोर्ट मे आराजी भूमि की सीमाओ पर विवाद होना अंकित किया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 1374 व 1375 ग्राम मीना बडौदा पर पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं लैण्डहोल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेशित किया जाता है कि वह पडौसी खातेदारों की उपस्थिती में प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि ख0न0 ख0न0 1374 व 1375 ग्राम मीना बडौदा पर पत्थगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य प्रतिलिपी तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/5/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर, जिला-स०मा०

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर